



Neutral Citation No. – 2026:AHC:21617

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका संख्या 2133/2024

श्रीमती सीतादेवी @ कल्लो और 2 अन्य

.....याचिकाकर्ता

बनाम

राजस्व बोर्ड और 3 अन्य

.....उत्तरदाता

याचिकाकर्ता के वकील	:	हर्ष कुमार मिश्रा
प्रतिवादी के वकील	:	सीएससी

न्यायालय संख्या - 55

माननीय चंद्र कुमार राय, न्यायमूर्ति।

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री हर्ष कुमार मिश्रा और राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान अतिरिक्त सीएससी श्री राजेश कुमार तिवारी की दलीलें सुनी गईं। निजी प्रतिवादियों की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता संख्या 1 और 2 के पिता मोती लाल का 1982 में निधन हो गया, उनके पीछे उनकी विधवा श्रीमती राजवंती और तीन बेटियाँ थीं, जिनका नाम श्रीमती फूलकली उर्फ भुवारी (याचिकाकर्ता संख्या 3 की माता), श्रीमती सीता देवी उर्फ कल्लो (याचिकाकर्ता संख्या 1) और श्रीमती सोनकली उर्फ कुंटा (याचिकाकर्ता संख्या 2) है। श्रीमती राजवंती के नाम पर दिनांक 23.1.1983/13.2.1983 के आदेशानुसार ग्राम दुदुही और अंदावा में स्थित भूखंडों के संबंध में पीए11 के आधार पर भूमि पंजीकरण किया गया था। श्रीमती राजवंती ने 21.10.1999 को अपनी तीन बेटियों, श्रीमती फूलकली उर्फ भुवारी, श्रीमती सीता देवी उर्फ कल्लो और श्रीमती सोनकली उर्फ कुंटा के पक्ष में एक पंजीकृत वसीयतनामा निष्पादित किया। उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 34 के तहत 6.12.1999 को लाल बहादुर (राजवंती के देवर) द्वारा मोती लाल द्वारा निष्पादित 25.1.1981 की अपंजीकृत वसीयत के आधार पर कार्यवाही शुरू की गई थी। उपरोक्त कार्यवाही में, याचिकाकर्ताओं ने 21.10.1999 की पंजीकृत वसीयत के आधार पर दावा प्रस्तुत किया। फूलपुर के तहसीलदार ने अंततः 8.11.2013 के पुनर्विचार आदेश के बाद 5.8.2015 के आदेश द्वारा मामले का निपटारा करते हुए राजवंती का नाम दर्ज करने का निर्देश दिया। इसके बाद, याचिकाकर्ताओं द्वारा 21.10.1999

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

की पंजीकृत वसीयत के आधार पर और लाल बहादुर द्वारा 25.1.1981 की अपंजीकृत वसीयत के आधार पर प्रस्तुत दावे को अस्वीकार कर दिया गया। तहसीलदार के दिनांक 5.8.2015 के आदेश के विरुद्ध उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 210 के तहत प्रतिवादी संख्या 3 और 2 ने अपील दायर की थी। दिनांक 19.2.2018 के आदेश द्वारा याचिका संख्या 4 को खारिज कर दिया गया था। दिनांक 19.2.2018 के आदेश के विरुद्ध, दिनांक 5.3.2018 को प्रतिवादी संख्या 4, अर्थात् ब्रह्मदीन द्वारा आयुक्त के समक्ष बहाली आवेदन दायर किया गया था, जिसकी सुनवाई उप-विभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 11.8.2021 के आदेश द्वारा की गई और उसे खारिज कर दिया गया। दिनांक 11.8.2021 के आदेश के विरुद्ध, लाल बहादुर के कानूनी वारिसों द्वारा पुनरीक्षण याचिका दायर की गई थी, जिसकी सुनवाई दिनांक 17.9.2022 के आदेश द्वारा की गई और उसे खारिज कर दिया गया। दिनांक 17.9.2022 के अतिरिक्त आयुक्त के आदेश के साथ-साथ तहसीलदार और उप-विभागीय अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध, वर्ष 2023 में प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 219 के तहत पुनरीक्षण याचिका दायर की गई थी और राजस्व बोर्ड ने समय सीमा समाप्त होने के कारण इस पुनरीक्षण याचिका पर दिनांक 23.4.2022 को अंतरिम आदेश दिया है। अतः निम्नलिखित राहतों के लिए यह रिट याचिका दायर की गई है:

"ए. राजस्व बोर्ड, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा पुनरीक्षण संख्या **1812/2023/प्रयागराज** (कंप्यूटरीकृत मामला संख्या **AL20230203001812**), श्याम दत्त मिश्रा बनाम सीता देवी और अन्य के मामले में दिनांक **23.04.2024** (अनुलग्नक संख्या **12**) को पारित किए गए विवादित आदेश को निरस्त करने के लिए एक रिट जारी की जाए, जहां तक पक्षों को यथास्थिति बनाए रखने के आशय का निषेधाज्ञा आदेश देने का संबंध है।"

ख. उत्तर प्रदेश राजस्व बोर्ड, प्रयागराज के समक्ष लंबित पुनरीक्षण संख्या **1812/2023/प्रयागराज** (कंप्यूटरीकृत मामला संख्या **AL20230203001812**), श्याम दत्त मिश्रा बनाम सीता देवी और अन्य की संपूर्ण कार्यवाही को रद्द करने के लिए रिट ऑफ सर्टिओरारी जारी की जाए।

3. इस न्यायालय ने 17.05.2024 को इस मामले पर सुनवाई की और राजस्व बोर्ड द्वारा पारित दिनांक 23.04.2024 के आदेश पर रोक लगा दी। इस न्यायालय द्वारा दिनांक 17.05.2024 को पारित अंतरिम आदेश इस प्रकार है:

"1. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी और अभिलेखों का अवलोकन किया।

2. यह याचिका निम्नलिखित राहत के लिए दायर की गई है:

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

"ए. राजस्व बोर्ड, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा पुनरीक्षण संख्या **1812** में दिनांक **23.04.2024** को पारित विवादित आदेश (अनुलग्नक संख्या **12**) को रद्द करने के लिए सर्टिओरारी रिट जारी की जाए।" **2023/प्रयागराज कम्प्यूटरीकृत मामला संख्या AL20230203001812**, श्याम दत्त मिश्रा बनाम सीता देवी और अन्य, राजस्व बोर्ड, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के समक्ष लंबित है, जहां तक संबंधित मामलों में पक्षों को यथास्थिति बनाए रखने के आशय का निषेधाज्ञा आदेश देने का संबंध है।

3. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि विवादित संपत्ति के पंजीकृत काशतकार मोती लाल थे। मोती लाल का निधन वर्ष **1982** में हुआ और उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी श्रीमती राजवंती का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया गया। श्रीमती राजवंती, जो याचिकाकर्ताओं की माता थीं, ने **21.10.1999** को याचिकाकर्ताओं के पक्ष में एक वसीयत निष्पादित की। **06.12.1999** को, लाल बहादुर (मोती लाल के भाई) ने मोती लाल द्वारा कथित रूप से निष्पादित दिनांक **25.01.1981** की एक अपंजीकृत वसीयत के आधार पर संपत्ति परिवर्तन के लिए आवेदन दायर किया। लाल बहादुर द्वारा दायर आवेदन को अंततः तहसीलदार ने **05.08.2015** को अस्वीकार कर दिया। इसी बीच, लाल बहादुर ने प्रतिवादी संख्या के पक्ष में एक विक्रय विलेख निष्पादित किया।

3. लाल बहादुर के वारिसों और खरोददार प्रतिवादी संख्या **3** ने दिनांक **05.08.2015** के आदेश के विरुद्ध अपील दायर की, जिसे अंततः **19.02.2018** को खारिज कर दिया गया। दिनांक **19.02.2018** के अपीलीय आदेश के विरुद्ध लाल बहादुर के वारिसों ने आपुक्त के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर की, जिसे दिनांक **17.09.2022** के आदेश द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। पुनरीक्षण याचिका खारिज होने के बाद, प्रतिवादी संख्या **3** ने दिनांक **19.02.2018** के आदेश के विरुद्ध पांच वर्ष की अवधि के बाद दिनांक **14.06.2023** को पुनरीक्षण याचिका दायर की। याचिकाकर्ता राजस्व बोर्ड के समक्ष उपस्थित हुआ और पुनरीक्षण याचिका के गुण-दोष के साथ-साथ समय सीमा से बाहर होने का तर्क देते हुए अपनी आपत्तियां दर्ज कराईं। याचिकाकर्ता की आपत्तियों पर विचार किए बिना, राजस्व बोर्ड ने दिनांक **23.04.2024** को एक आदेश पारित किया, जिसमें पक्षों को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया गया, जिसे वर्तमान रिट याचिका में चुनौती दी गई है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का तर्क है कि प्रतिवादी संख्या **3** के पूर्ववर्ती द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है, इसलिए दूसरी पुनरीक्षण याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का यह भी तर्क है कि प्रतिवादी संख्या **3** ने यह पुनरीक्षण याचिका पांच वर्ष की अवधि के बाद दायर की है, और वह भी विलंब क्षमादान के लिए आवेदन किए बिना। अपनी आपत्तियों में, याचिकाकर्ता ने विशेष रूप से यह आधार उठाया है कि पुनरीक्षण याचिका परिसीमा से बाधित है, लेकिन बिना याचिकाकर्ता की आपत्तियों पर विचार करते हुए, पुनरीक्षण याचिका दायर करने में हुई देरी को माफ किए बिना एक अंतरिम आदेश

पारित किया गया है।

5. इस मामले पर विचार करने की आवश्यकता है।

6. प्रतिवादी संख्या 1 और 2 का प्रतिनिधित्व विद्वान स्थायी वकील द्वारा किया गया।

7. प्रतिवादी संख्या 3 और 4 को नोटिस जारी करें। एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई की जाए।

8. नोटिस में निर्धारित तिथि पर सूची तैयार करें।

9. इस बीच, दोनों पक्ष अपने हलफनामे का आदान-प्रदान कर सकते हैं।

10. अगली सुनवाई की तारीख तक, राजस्व बोर्ड द्वारा दिनांक **23.04.2024** को पारित आदेश का संचालन और प्रभाव स्थगित रहेगा।

4. इस न्यायालय के दिनांक 17.5.2024 के आदेश के अनुसरण में, निजी प्रतिवादी संख्या 3 और 4 को नोटिस जारी किए गए थे। कार्यालय रिपोर्ट के अनुसार, प्रतिवादी संख्या 3 और 4 पर तामील पर्याप्त मानी जाती है।

5. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं को उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 34 के तहत कार्यवाही में दर्ज करने का आदेश सही था और तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध दायर अपील खारिज कर दी गई थी। उन्होंने आगे कहा कि लाल बहादुर के कानूनी वारिसों द्वारा दायर पहली पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी गई थी। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी संख्या 3 और 4 द्वारा एक अन्य पुनरीक्षण याचिका दायर की गई थी जो समय सीमा से बाहर थी और राजस्व बोर्ड ने विलंब क्षमादान का कोई आदेश पारित किए बिना अंतरिम आदेश जारी कर दिया था। उन्होंने आगे कहा कि समय सीमा से बाहर की कार्यवाही में अंतरिम संरक्षण प्रदान करने वाला विवादित आदेश अवैध है। उन्होंने आगे कहा कि अंतरिम संरक्षण प्रदान करने वाले विवादित आदेश को रद्द किया जाना चाहिए और राजस्व बोर्ड को समय सीमा से बाहर की पुनरीक्षण याचिका पर उचित तरीके से कार्यवाही करने के लिए उचित निर्देश जारी किए जाने चाहिए।

6. राज्य प्रतिवादियों की ओर से विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी वकील श्री राजेश कुमार तिवारी ने प्रस्तुत किया कि पुनरीक्षण में पारित अंतरिम आदेश के विरुद्ध किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ताओं को राजस्व बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर पुनरीक्षण की कार्यवाही का विरोध करना चाहिए।

7. मैंने याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ताओं और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा

प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है और अभिलेखों का अध्ययन किया है।

8. इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ताओं को पंजीकृत वसीयतनामा के आधार पर रिकॉर्ड में दर्ज करने का आदेश दिया गया था और उप-विभागीय अधिकारी द्वारा अपील में तथा अतिरिक्त आयुक्त द्वारा पुनरीक्षण में उत्परिवर्तन के आदेश को बरकरार रखा गया है। इस तथ्य पर भी कोई विवाद नहीं है कि लाल बहादुर के कानूनी वारिसों द्वारा दायर एक पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी गई थी, लेकिन लाल बहादुर के खरीदारों द्वारा दायर दूसरी पुनरीक्षण याचिका में पुनरीक्षण याचिका दायर करने में हुई देरी को माफ करने का कोई आदेश पारित किए बिना अंतरिम संरक्षण प्रदान किया गया था।

9. यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि समय सीमा समाप्त हो चुकी कार्यवाही में अंतरिम संरक्षण तब तक प्रदान नहीं किया जा सकता जब तक कि विलंब की माफी के लिए उचित आदेश पारित न किया जाए।

10. प्रतिवादी संख्या 3 और 4 की ओर से पुनरीक्षण की स्वीकार्यता की उचित तरीके से जांच की जाएगी क्योंकि लाल बहादुर के कानूनी वारिसों द्वारा दायर पुनरीक्षण को राजस्व बोर्ड द्वारा पहले ही खारिज कर दिया गया था।

11. 17.5.2024 को नोटिस जारी किए जाने के बावजूद निजी प्रतिवादियों द्वारा कोई प्रतिवाद हलफनामा दाखिल नहीं किया गया है, इसलिए याचिका में किए गए कथनों के आधार पर इस रिट याचिका का गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि लंबित कार्यवाही का निर्णय राजस्व बोर्ड द्वारा कानून के अनुसार किया जाना है।

12. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, प्रयागराज स्थित उत्तर प्रदेश राजस्व बोर्ड द्वारा दिनांक 23.4.2024 को पारित विवादित आदेश का वह भाग, जिसके द्वारा यथास्थिति बनाए रखने के लिए अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की गई है, निरस्त किए जाने योग्य है और इसे एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

13. रिट याचिका स्वीकार की जाती है। प्रयागराज स्थित उत्तर प्रदेश राजस्व बोर्ड को निर्देश दिया जाता है कि वह विलंब क्षमादान के मामले और याचिका की स्वीकार्यता के मुद्दे पर विचार करते हुए, कानून के अनुसार यथाशीघ्र, अधिमानतः आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत होने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर, संबंधित पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद, पुनरीक्षण पर निर्णय ले।

30 जनवरी, 2026

(चंद्र कुमार राय, न्यायमूर्ति)

Translated version. Not for Legal Use.